न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष– बलराम बडाईक पिता स्व0 मनरखन बडाईक सा0 ममरला

बनाम

वाद सं0 01 / 2021 — द्वितीय पक्ष– पंकज बड़ाईक पिता स्व0 लक्ष्मीनाथ बड़ाईक बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
9/7/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 01 / 2021 दिनांक .04 / 01 / 2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) बलराम बडाईक पिता स्व0 मनरखन बडाईक सा0 ममरला पाकरटोली थाना बसिया बनाम द्वितीय पक्ष (1) पंकज बड़ाईक पिता स्व0 लक्ष्मीनाथ बड़ाईक (2) अलखनाथ बड़ाईक उम्र 55 वर्ष (3) तिरलोकी बड़ाईक पिता उदेनाथ बड़ाईक सभी सा0 ममरला पाकरटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि विवाद को लेकर आपसी तनाव संबंधी विवाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला) Digitally signed by SANJAY P M KUJUR Date: 2021.07.17 12:47:33 +05:30 Location: 192.168.141.239	